



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102022-239942
CG-DL-E-29102022-239942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4851]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944

No. 4851]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5069(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4173 (अ), दिनांक 27.12.2016 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 (03) के 190.00 कि.मी. से 310.400 कि.मी. (नेरचौक से मनाली खंड) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा जाए), और अधिसूचना संख्या का. आ. 3303 (अ), दिनांक 16 सितंबर 2019 के अधिक्रमण में, नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 (नया एनएच-3) के टकोली से कुल्लू खंड और कुल्लू से मनाली खंड के कि.मी. 205.098 से कि.मी. 263.418 के सड़क खंड की निवल लंबाई 33.516 कि.मी. और 3.29 कि.मी. (जिनकी लंबाई 0.329 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के प्रयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों का 60% और सड़क की लंबाई 15.120 कि.मी. और 6.160 कि.मी. (जिनकी लंबाई 0.616 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना के लिए आधार दरों का 100% और बाईपास जिनकी लंबाई 8.739 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिया जाने वाला एवं संग्रहीत किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
एनएच-3 (हिमाचल प्रदेश राज्य) के कुल्लू जिले में ढोलू नल्ला रायसन गांव के निकट डिजाइन चैनेज 239.673 किमी पर	33.516 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	दो लेन/ पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	15.120 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 3				
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
एनएच-3 (हिमाचल प्रदेश राज्य) के कुल्लू जिले में ढोलू नल्ला रायसन गांव के निकट डिजाइन चैनेज 239.673 किमी पर	बजौरा-भुंतार बाईपास	7.079 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	66.583	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
एनएच-3 (हिमाचल प्रदेश राज्य) के कुल्लू जिले में ढोलू नल्ला रायसन गांव के निकट डिजाइन चैनेज 239.673 किमी पर	मनाली बाईपास	1.66 [60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	22.626	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
एनएच-3 (हिमाचल प्रदेश राज्य) के कुल्लू जिले में ढोलू नल्ला रायसन गांव के निकट डिजाइन चैनेज 239.673 किमी पर	0.329	3.290	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.616	6.160	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	0.945	9.450	

^60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचना का व्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चैनेज		ढांचे का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	210+449	210+655	4 लेन पुल	0.206
2	216+163	216+493	4 लेन पुल	0.330
3	226+285	226+530	2 लेन पुल	0.245
4	242+543	242+627	2 लेन पुल	0.084
5	263+133	263+213	4 लेन पुल	0.080
	कुल			0.945

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी - 4		
देय राशि	अनुमत्ये एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दर प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1670.94 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/आरओ/एचपी/11011/89/टोल-प्लाजा/2022/2]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 5069(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 4173(E) dated 27.12.2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch of National Highway from km 190.00 to km 310.400 (Nerchowk to Manali Section) of National Highway No. 21 (03) in the State of Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), and in supersession of the notification bearing S.O. 3303 (E) dated 16th September 2019, the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 33.516 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.29 Km (having length of 0.329km) for use of the Two Lane with paved shoulders and at 100% of the base rate for road length 15.120 km and for equivalent structure length 6.160 km (having length of 0.616km) and at one and one half times of the base rate for bypass having length 8.739 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicle specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Takoli to Kullu section and Kullu to Manali section 205.098 to km 263.418 of National Highway 21 (New NH-3) in the state of Himachal Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table - 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.2
Three-axle Commercial Vehicles	2.4

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.2

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 239.673, design chainage near village Dolhu Nallah, Raison in Kullu district of NH-3(H.P)	33.516 (Excluding length of structure more than 60m)	60% for two lane/two lane with paved shoulders, of the base rate mentioned in Table-1 above.
	15.120 (Excluding length of structure more than 60m)	100% for four lane and more lane of the base rate mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 239.673, design chainage near village Dolhu Nallah, Raison in Kullu district of NH-3(H.P)	Bajaura-Bhuntar Bypass	7.079 (Excluding length of structures having length more than 60m)	66.583	150% for four and more lane of the base rate mentioned in Table-1 above
At km 239.673, design chainage near village Dolhu Nallah, Raison in Kullu district of NH-3(H.P)	Manali Bypass	1.66 (Excluding length of structures having length more than 60m)	22.626	150% for four and more lane of the base rate mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 239.673, design chainage near village Dolhu Nallah, Raison in Kullu District of NH-3(H.P)	0.329	3.290	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.616	6.160	100% for four lane and more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above.

Total length	0.945	9.450	
---------------------	--------------	--------------	--

*Details of structure having length more than 60m is as under:

Sr. No.	Chainage		Type of structure	Length (Km.)
	From Km	To Km		
1	210+449	210+655	4 Lane Bridge	0.206
2	216+163	216+493	4 Lane Bridge	0.330
3	226+285	226+530	2 Lane Bridge	0.245
4	242+543	242+627	2 Lane Bridge	0.084
5	263+133	263+213	4 Lane Bridge	0.080
Total				0.945

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Three Hundred Fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1670.94 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/RO/HP/11011/89/TOLL-Plaza/2022/2]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.